किसानों की संपन्नता के लिए खेती का कायाकल्प जरूरी

–प्रो. रमेश चंद

खेतों में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के लिए कौशल, ज्ञान, निवेश तथा खेती में अधिक मानवीय पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेती में नया संकल्प और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की अधिक सहभागिता चाहिए। उत्पादन में वृद्धि तो आवश्यक है, लेकिन किसानों की आय में अधिक वृद्धि के लिए इतना काफी नहीं है। अधिक मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद करनी होगी और उनमें से कुछ को गैर–कृषि कार्यों में लगाना होगा।

नब्बे के दशक के आरंभ में हुए आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ, जिससे समूची अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ गई और 1971 से 1991 के बीच 4.2 प्रतिशत रहने वाली दर 1991 के बाद 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। इससे 1991 से 37 वर्ष पूर्व स्थिर मूल्यों (2004–05) पर प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा था, वह केवल 17 वर्षों में दोगुना हो गया। किंतु 1991 में जो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में 40 प्रतिशत से अधिक एवं श्रम बल में 59 प्रतिशत का योगदान करता था, उसकी वृद्धि दर में स्थायी परिवर्तन नहीं दिखा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1991 से पहले के 23 वर्षों में दोगुना हुआ था और उसे दोबारा दोगुना होने में भी इतना ही समय लग गया। हाल के वर्षों में भी कृषि की वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत के पुराने औसत पर अटकी रही है, जबकि गैर–कृषि वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है। गैर–कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर अधिक होने के साथ ही कुछ किसानों ने गैर–कृषि कार्य भी अपना लिए हैं। परिणामस्वरूप उत्पादकों (किसानों) की आय कम ही रही है और उसके तथा गैर–कृषि श्रमिकों की आय के बीच अंतर और बढ़ गया है। किसानों की पीड़ा और खेती में घटती रुचि का यह प्रमुख कारण है, जिसके देश की भावी खाद्य सुरक्षा पर गंभीर दुष्प्रभाव होंगे।

कृषि गतिविधियों से हुई शुद्ध आय का आंकड़ा वर्ष 2015–16 में 10,000 रुपये प्रति किसान प्रति माह था, जो गैर–कृषि श्रमिकों की आय के एक तिहाई से भी कम है। यदि किसानों की आय उसी गति से बढ़ती रही, जैसी पिछले दो दशकों में बढ़ी है तो अगले 20 वर्ष में वास्तविक आंकड़ा 20,000 रुपये तक भी नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए "2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने" जैसे लक्ष्य की तर्ज पर किसानों की आय तेजी से बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुमुखी रणनीति के जरिए कृषि उत्पादन तथा मार्केटिंग का कायाकल्प करना होगा। इस रणनीति में उत्पादकता बढ़ाना, औसत लागत में कमी लाना, कृषि उपज की बेहतर कीमत दिलाना, संबंधित गतिविधियों में विस्तार करना और किसानों को गैर–कृषि कार्यों में लगाना आदि शामिल हैं।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा बांटे जा रहे प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। अधिकतर राज्यों में इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों की गुणवत्ता कम है। 50 प्रतिशत से कम फसल क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं। अधिकतर किसानों तक अभी उन्नत तकनीक पहुंची ही नहीं है, जिसका प्रमाण यह है कि अनाज की फसलों के 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में पारंपरिक किस्में ही उगाई जा रही हैं। विस्तार कम होना, गुणवत्तायुक्त बीज और गुणवत्तायुक्त पौध प्रजनन सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला टूटी होना तथा विभिन्न राज्यों में संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम होना इसके प्रमुख कारण हैं।

सिंचाई में भारी निवेश के बावजूद आधे से अधिक कृषि क्षेत्र में

सिंचाई की सुविधा नहीं है। फलों तथा सब्जियों जैसी अधिक दाम वाली जिन फसलों की उत्पादकता अन्य फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक है, उन्हें 10 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में उगाया जाता है।

भारत में कृषि अत्याधुनिक तकनीक तथा खेती के आधुनिक तरीकों से वंचित है। विकसित दुनिया सेंसरों तथा सामग्री के सही उपयोग एवं खेती के लिए सेंसरों तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित खेती की ओर बढ़ रही है। इससे खर्च बचता है, पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है और अधिक मात्रा में एवं बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। हम अभी तक सिंचाई के लिए खेतों में पानी भर देने (फ्लड इरिगेशन) का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक बिखेर रहे हैं और रसायनों का अंधाधुंध छिड़काव कर रहे हैं। खेतों में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के लिए कौशल, ज्ञान, निवेश तथा खेती में अधिक मानवीय पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेती में नया संकल्प और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की अधिक सहभागिता चाहिए। उत्पादन में वृद्धि तो आवश्यक है, लेकिन किसानों की आय में अधिक वृद्धि के लिए इतना काफी नहीं है। अधिक मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद करनी होगी और उनमें से कुछ को गैर–कृषि कार्यों में लगाना होगा। भारत के अर्थशास्त्रियों ने किसानों की आय तथा उत्पादन बढ़ाने में कीमत की ताकत को कम करके आंका है। किसानों को मिलने वाले मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई तो उनकी आय सीधे 13 प्रतिशत बढ़ जाएगी और उत्पादन पर बेहद अनुकूल प्रभाव होगा। पिछले 50 वर्षों के दौरान कृषि जिंसों के तुलनात्मक मूल्यों में कमी–बेशी के साथ ही कृषि वृद्धि में भी उतार–चढ़ाव आया है।

किसान के स्तर पर कीमतों को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित कर और दूसरा प्रतिस्पर्धा भरा बाजार तैयार कर। कई राज्यों में बेचने योग्य अधिशेष उपज का बड़ा हिस्सा सरकार खरीद लेती है, लेकिन किसानों को धान और गेहूं के लिए भी एमएसपी से 10–20 प्रतिशत कम दाम हासिल होता है। ऐसे मामलों में एमएसपी सुनिश्चित करने भर से किसानों की आय 13 से 26 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह याद दिलाना आवश्यक है कि हरितक्रांति उन्हीं राज्यों में हुई, जहां किसानों को लाभकारी कीमत हासिल हुई। मध्य–प्रदेश में हाल ही में ऐसा दिखा। अपने किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का उत्तर प्रदेश का हालिया कदम निश्चित रूप से हरितक्रांति लाएगा और अगले 5–7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बहुत अधिक हो जाएगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम में भी ऐसी ही संभावनाएं हैं, जहां किसानों को मिलने वाले अनाजों का दाम अक्सर एमएसपी से कम ही होता है। एमएसपी बढ़ाने की मांग तो अक्सर की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी किसानों को मिले, पहले यह सुनिश्चित करना अधिक आवश्यक है। जिन किसानों को मूल्य की गारंटी ही नहीं मिल पाई हो, उनके लिए एमएसपी में भारी वृद्धि किसी काम की नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य बढ़ाए बगैर किसानों के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने का दूसरा और अधिक श्रेष्ठ तरीका मार्केटिंग की प्रणाली में सुधार है। यह प्रणाली और इसका बुनियादी ढांचा पुराना एवं शोषण भरा है। कृषि बाजार विकसित होने के बजाय बदतर होते गए हैं और उनसे किसानों एवं उपभोक्ताओं की जगह बिचौलियों का हित सध रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा भरे आधुनिक बाजारों के बजाय और कृषि क्षेत्र को जीवंत, आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने वाले सुधारों के बजाय इस क्षेत्र को खैरात दिलाने का ही प्रयास करते रहे हैं।

केंद्र ने 2003 में आदर्श एपीएमसी अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे राज्यों से सलाह करके तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य बाजारों के ऊपर अत्यधिक नियमन एवं नियंत्रण को समाप्त करना, प्रत्यक्ष खरीद–फरोख्त में सहायता करना, विक्रेताओं के लिए अधिक विकल्प तैयार करना, बाजार में स्थानीय कारोबारियों की सांठगांठ को खत्म करना और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा तथा निवेश लाना था। किंतु राज्यों ने आदर्श एपीएमसी कानून को ठीक से न तो स्वीकारा और न ही लागू किया और उसमें परिवर्तन कर उसे हल्का बना दिया। कुछ राज्यों ने कानून नहीं बदला। जिन्होंने कानून में परिवर्तन किया, उन्होंने नियमों को अधिसूचित नहीं किया और जहां अधिसूचना जारी की गई, वहां उसे कुछ ही उपजों पर लागू किया गया। इस प्रकार कृषि बाजार नए वाणिज्य, आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं औपचारिक क्षेत्र की सहभागिता तथा आधुनिक मूल्य शृंखलाओं से वंचित रह गए। परिणामस्वरूप पारंपरिक पूंजी, मूल्य लागत में भारी अंतर, कटाई के समय कीमत में कमी और फसल का समय नहीं होने पर दाम बढ़ना, मामूली मूल्य वृद्धि पहले की तरह जारी रहे। इससे बाजार में भरोसा घटता जा रहा है और प्रत्येक कृषि जिंस के लिए एमएसपी की मांग हो रही है।

नीति आयोग ने कृषि मार्केटिंग में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वर्ष 2016 में नए सिरे से प्रयास आरंभ किए हैं। ई–नाम बोली लगवाने के लिए भारत भर के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का प्रयोग करने और कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों के नेटवर्क का प्रयोग करने का भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ई–नाम के अंतर्गत प्रत्येक बाजार को 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्केटिंग में मामूली सुधारों से भी किसानों को मिलने वाली कीमत में बहुत वृद्धि होती है।

नीति आयोग राज्यों से अनुरोध करता आया है कि वे खेती से जुड़ी गतिविधियों जैसे पेड़ गिराना, उनकी ढुलाई तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना में आड़े आ रही बाधाएं दूर करें

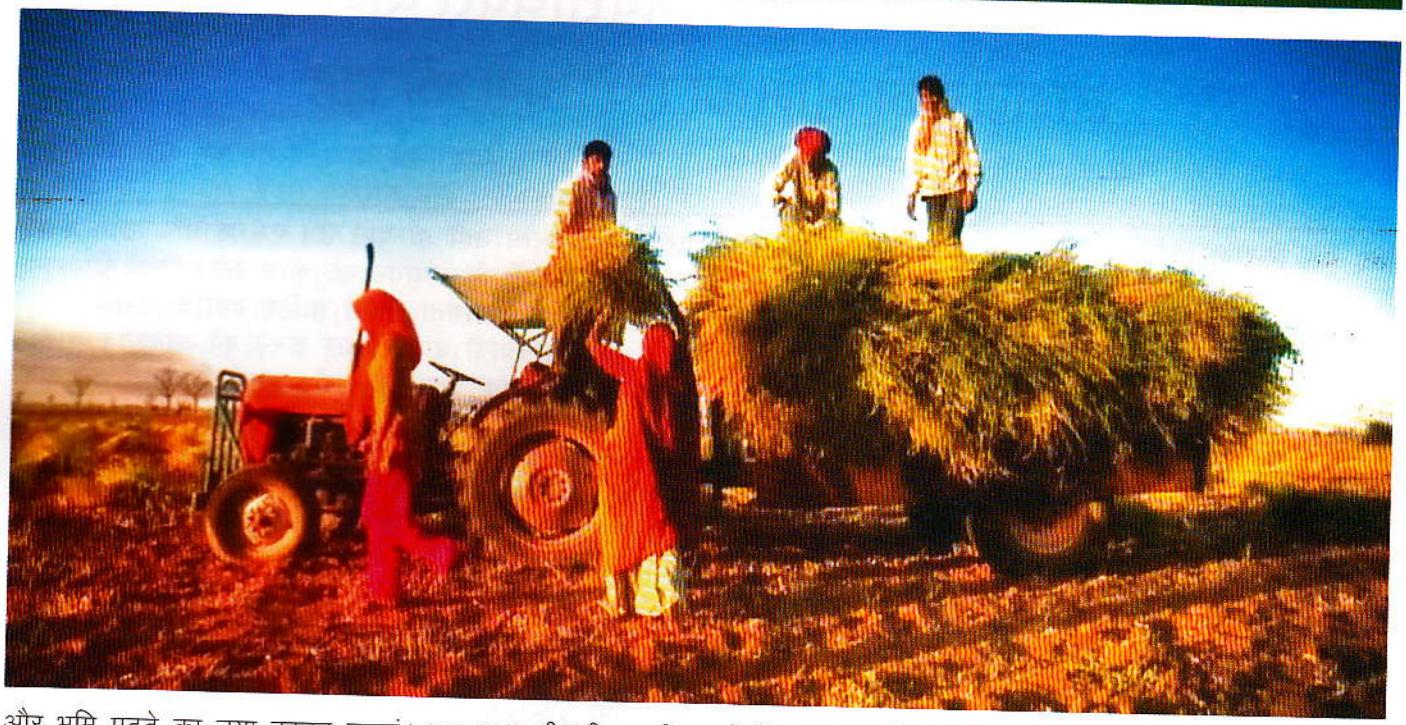

और भूमि पट्टे का नया कानून बनाएं। भारत लकड़ी की अपनी 40 प्रतिशत मांग आयात से पूरी करता है, जबकि उसे देश में ही किसानों के खेतों पर पेड़ उगाकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि जमीन के पट्टे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जबानी पट्टे हैं, लिखित नहीं। आंध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षेत्र, बिहार में 30 प्रतिशत और ओडिशा में 20 प्रतिशत क्षेत्र पर पट्टे के तहत खेती हो रही है। देश में पट्टे पर खेती का औसत 11.6 प्रतिशत है। ऐसे किसानों को खेती के लिए संस्थागत ऋण, फसल बीमा और अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल सकते। भूमि पट्टे को मान्यता देने और भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा करने से किसानों की आय कई तरीकों से बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग निजी क्षेत्र को खेती की ओर आकर्षित करने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ठेके या अनुबंध पर खेती का नया कानून भी तैयार कर रहे हैं।

फसलों के साथ ही हमें किसानों की आय में 25–30 प्रतिशत योगदान वाले पशुधन की संभावना का भी दोहन करना चाहिए। प्रजनन की उम्र वाली लगभग 1.10 करोड़ गाय, भैंसों के कभी संतानें नहीं होती। उनकी पहली संतान 34 महीने की उम्र में होती है। दो संतानों के बीच अंतराल बहुत अधिक होता है। पशुओं की वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए उनका, उनके चारे और स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक से इंतजाम करना जरूरी है।

यदि हम गुणवत्ता भरे बीजों, उर्वरक, सिंचाई, फसल सघनता, उच्च मूल्य वाली फसलों, तकनीक आदि के मामले में उसी गति से आगे बढ़ते रहे, जिस गति से पिछले 15 वर्ष में बढ़े हैं तो 2022 तक किसानों की आय लगभग 52 प्रतिशत बढ़ जाएगी। किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है और अतीत जितनी ही रफ्तार से कृषि श्रमिक गैर–कृषि कामकाज की ओर चले जाते हैं तो आय में 23 प्रतिशत इजाफा और हो जाएगा। कुल मिलाकर 75 प्रतिशत वृद्धि होगी। 100 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने प्रयास 33 प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है।

एफपीओ जैसी उत्पादक संस्थाएं छोटी जोत वालों की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास सफलता की ऐसी कहानियां भी हैं, जहां कठिनाई से जूझ रहे क्षेत्रों में किसानों की आय एफपीओ की मदद से तेजी से बढ़ी। एसएफएसी और नाबार्ड के प्रयासों से इसमें कुछ प्रगति दिखी है। एफपीओ की संख्या बढ़ाने में राज्यों को शामिल करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा माल खरीदने और रोजगार प्रदान करने में खाद्य प्रसंस्करण की अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन रोजगार में वृद्धि की दर एक प्रतिशत से भी कम रही है। कारण यह है कि जिस प्रकार के उद्योग तेज गति से बढ़ रहे हैं, वे अधिक रोजगार प्रदान नहीं करते और जिन उद्योगों में बहुत अधिक रोजगार मिलता है (जैसे खाद्य प्रसंस्करण), उनकी वृद्धि दर बहुत कम (लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक) है।

किसानों की आय में अधिक वृद्धि तभी होगी, जब राज्य इस लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानेंगे और खेती को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने के लिए सुधार के एजेंडा में सहयोग करेंगे। तभी हम नए जमाने के भारत की ओर बढ़ेंगे, जैसा 1991 में आई सुधारों की पहली लहर में हुआ था।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं।)
ईमेलः rc.niti@gov.in